

***Guidelines  
For  
Hotel  
Recognition***

होटल/मोटल, गेस्ट हाऊस के मान्यता के पूर्व आवश्यक  
कागजात की छाया प्रति एवं शुल्क का चेक लिस्ट।

- जमीन की कागजात का छायाप्रति।
- दूकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत रजिस्ट्रीकरण  
प्रमाण-पत्र
- संचालन का पहचान पत्र (सचित्र) पूरा पता के साथ
- होटल टैरिफ/दर
- 15 कमरों तक 3000/- हजार का डी0डी0, 15 से अधिक  
कमरों के लिए 5,000/- (पाँच हजार) का डी0डी0 निदेशक  
पर्यटन, बिहार के पदनाम से (शुल्क के रूप में)।
- होटल में पर्यटकों की सुविधाओं का विवरण
- आवेदन विहित प्रपत्र में



बिहार सरकार  
पर्यटन निदेशालय

संकल्प संख्या-प्रो०डे०को०-63/2006 1231 प०नि०, पटना, दिनांक 27/7/2012

संकल्प

विषय :- होटल/मोटल/रेस्ट हाउस के मान्यता/सूचीबद्धता प्रदान करने हेतु शुल्क निर्धारण करने के संबंध में।  
पर्यटन निदेशालय, बिहार ने होटल/मोटल/रेस्ट हाउस के मान्यता/सूचीबद्धता प्रदान करने के लिए विभागीय नियम एवं शर्तों के अधीन निम्न संशोधन किया गया है :-

1. होटल/मोटल/रेस्ट हाउस को मान्यता देने के क्रम में इसे दो श्रेणियों में रखकर मान्यता शुल्क लिया जायेगा। श्रेणी A में वैसे होटल/मोटल/रेस्ट हाउस को रखा गया है जिसमें 15 ठहरने योग्य कमरों से अधिक हों तथा ए०सी० कमरा उपलब्ध हो, ऐसे होटल मोटल रेस्ट हाउस का मान्यता देने के लिए 5000/- रु० शुल्क निर्धारित किया जाता है।  
श्रेणी B में वैसे होटल/मोटल/रेस्ट हाउस को रखा गया है जिसमें 15 या 15 कमरों से कम हो ऐसे होटल, मोटल, रेस्ट हाउस का मान्यता देने के लिए 3000/- रु० शुल्क निर्धारित किया जाता है।
2. प्रथम बार मान्यता पूर्व की तरह तीन वर्षों के लिए दिया जायेगा तथा उपर्युक्त श्रेणियों के लिए कर्णांकित राशि अगले तीन वर्षों के लिए अवधि विस्तार के मामले में भी क्रमशः 5000/- एवं 3000/- रु० रखा गया है।
3. शुल्क का भुगतान बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से आवेदन पत्र के साथ निदेशक, पर्यटन, बिहार के नाम से देय होगा।

आदेश :- दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति बिहार गजट में सर्वसाधारण को सूचनाार्थ प्रकाशित की जाय एवं इस गजट की 100 प्रति निदेशालय को उपलब्ध कराया जाय।

पूर्व निर्गत संकल्प संख्या-156 दिनांक 17.01.2008 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

(धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव)  
निदेशक, पर्यटन, बिहार, पटना।

ज्ञाप संख्या - प्रो०डे०को०-63/2006 1231 प०नि०, पटना, दिनांक 27/7/2012  
प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को इस अनुरोध के साथ प्रेषित, कि अगले बिहार गजट के असाधारण अंक में इसका प्रकाशन कराया जाय।

निदेशक, पर्यटन, बिहार, पटना।

ज्ञाप संख्या - प्रो०डे०को०-63/2006 1231 प०नि०, पटना, दिनांक 27/7/2012  
प्रतिलिपि :- सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, पर्यटन, बिहार, पटना।

ज्ञाप संख्या - प्रो०डे०को०-63/2006 1231 प०नि०, पटना, दिनांक 27/7/2012  
प्रतिलिपि :- सभी पदाधिकारी, पर्यटन निदेशालय/सभी प्रभारी अधिकारी, पर्यटक सूचना केंद्र एवं विभागीय आई०टी० मैनेजर को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पर्यटन, बिहार, पटना।



## पर्यटन निदेशालय

### संकल्प

संख्या-प्रो0डे0को0-20 / 2005.....प.नि.,पटना दिनांक.....2009

पर्यटन विभाग से मान्यता प्राप्त (accredited) होटल, होटल व्यवसाय के लिए अत्यन्त लाभकारी होते हैं। पर्यटन साहित्यों के लगातार प्रकाशन एवं वितरण के द्वारा पर्यटन विभाग से मान्यता प्राप्त होटलों का प्रचार-प्रसार (publicity) पूरे संसार में हो जाती है। इसके अतिरिक्त पर्यटन विभाग से मान्यता प्राप्त होटल, विदेशी मुद्रा विनियमन के लिए भी आसानी से अनुज्ञप्ति व अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। इस सुविधा के हो जाने के पश्चात संबंधित होटल, विदेशी पर्यटकों/यात्रियों को आसानी से आकृष्ट कर पाते हैं, क्योंकि प्रत्येक विदेशी पर्यटक/यात्री को विदेशी मुद्रा विनियमन की आवश्यकता होती है।

पर्यटन विभाग बिहार सरकार द्वारा होटल को मान्यता प्रदान करने की नियमावली पूर्व से निर्धारित है। लोकहित एवं कार्यहित में इसे पुनः प्रकाश में लाया जा रहा है।

### अर्हता

1. होटल की रूप रेखा एवं संरचना अच्छी हो। आसपास का पर्यावरण एवं रास्ता उपयुक्त हो।
2. संबंधित होटल में 10 (दस) कमरे ऐसे हों जिन्हें किराये पर दिया जा सके और 50 % कमरों के साथ शौचालय एवं स्नान घर संलग्न (attach) हों। शेष कमरों के लिए पर्याप्त मात्रा में शौचालय एवं स्नानागार हों शौचालयों में पर्याप्त जलापूर्ति की व्यवस्था हो।
3. कमरे well ventilated होने चाहिए तथा उनमें अच्छी गुणवत्ता का बिछावन एवं अन्य उपस्कर हो।
4. होटल में दूरभाष सहित एक reception counter हों। दूरभाष की सुविधा इसमें रहने वाले अतिथियों को मांग और भुगतान के आधार पर उपलब्ध कराया जा सके।
5. होटल में साफ-सुथरा एवं आधुनिक सज्जा से युक्त भोजनालय/रेस्तराँ हो जिसमें अच्छी गुणवत्ता के रुचिकर भोजन, मांग एवं भुगतान के आधार पर परोसा जा सके।
6. होटल के कर्मचारी अनुभवी, अतिथि परायण तथा दक्ष हों।
7. होटल का रख-रखाव उच्चतम स्तर का हो जिसमें चादर, तौलिए, कम्बल, crockery, cutlery एवं glassware आदि अच्छी गुणवत्ता के एवं साफ-सुथरे हों।
8. होटल द्वारा Visitor Book रखते हुए इसमें अग्रिम आरक्षण की सुविधा हो।

### नियामक शर्तें

1. होटल, पर्यटन निदेशालय को यथा वाञ्छित निर्धारित प्रपत्र में प्रति माह आँकड़ों का प्रेषण करेगा।
  2. पर्यटन निदेशालय के पदाधिकारी/अधिकृत पदाधिकारी होटल की जाँच एवं निरीक्षण के लिए हर समय सक्षम होंगे।
  3. प्रत्येक कमरे के सामने उसका दर इस प्रकार प्रदर्शित किया जायेगा कि वह आसानी से देखा जा सके।
  4. होटल द्वारा किये गये आरक्षण को उनके द्वारा निरस्त नहीं किया जायेगा।
  5. होटल कुल कमरों का अधिकतम 15 % कमरा ही स्थाई रूप से किसी एक व्यक्ति/ संस्था/फर्म को उपलब्ध करायेगा।
  6. होटल, पर्यटन निदेशालय, बिहार को होटल में दी जा रही प्रत्येक सुविधाओं, हटाई जा रही प्रत्येक सुविधाओं, होटल की संरचना में किए जाने वाले या किए गए सभी परिवर्तनों की सूचना देगा।
  7. होटल अपने स्तर से प्रतिवर्ष 31, दिसम्बर तक पर्यटन निदेशालय को निम्नांकित सूचनाएँ उपलब्ध करायेंगे:-
    - (क) होटल का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लाभ-हानि तथा अन्तः शेष की अधिकृत विवरणी।
    - (ख) Single तथा Double कमरे एवं Suits में बिछावनों की संख्या।
    - (ग) कार्यालय/निजी आवास के प्रयोजन से स्थायी/अर्द्धस्थायी आधार पर दिये गये कमरों की संख्या।
    - (घ) दर तालिका।
- उपरोक्त अंकित शर्तों में से किसी एक का भी उल्लंघन किये जाने पर पर्यटन निदेशालय द्वारा संबंधित होटल को दी गयी मान्यता वापस ले ली जायेगी।



होटल प्रबन्धन, निदेशक, पर्यटन निदेशालय, बिहार को निम्नांकित सूचनाएँ देते हुए मान्यता प्रदान करने का आवेदन समर्पित करेंगे:-

1. होटल का नाम
2. होटल में Single, Double कमरों एवं Suits तथा Dormitory की संख्या
3. शौचालय एवं स्नानागारों की कुल संख्या
4. कमरों, शौचालयों एवं स्नानागारों तथा Dining Hall का आकार
5. दूरभाष संख्या
6. होटल में कार्यरत पदाधिकारी/कर्मचारी
7. होटल प्रबन्धक एवं अन्य कार्मिकों की शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव
8. होटल कब से कार्यरत है
9. होटल का कुल क्षेत्रफल
10. होटल में उपलब्ध सुविधाएँ

बिहार राज्यपाल के आदेश से

प्रधान सचिव

ज्ञापांक—.....प.नि., पटना दिनांक.....2009

प्रतिलिपि, महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, पर्यटन विभाग, बिहार सरकार के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक—.....प.नि., पटना दिनांक.....2009

प्रतिलिपि, मुख्य सचिव/सभी विभाग के प्रधान सचिव/विभागाध्यक्ष, बिहार सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक—.....प.नि., पटना दिनांक.....2009

प्रतिलिपि, सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक—.....प.नि., पटना दिनांक.....2009

प्रतिलिपि, अधीक्षक सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग को सूचनार्थ एवं असाधारण गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

***Guidelines  
For  
Travel Agent  
Recognition***



**GOVERNMENT OF BIHAR****Department of Tourism****GUIDELINES FOR RECOGNITION AS AN APPROVED TRAVEL AGENT**

[with effect from 11.07.2008]

1. The aims and objectives of the scheme for recognition of Travel Agent are to encourage quality standard and service in this category so as to promote tourism in Bihar. This is a voluntary scheme open to all bonafied travel agencies to bring them in organised sector.
2. Definition: A Travel Agent is one which makes arrangements of tickets for travel by air, rail, ship, passport, visa, etc. It may also arrange accommodation, tours, entertainment and other tourism related services.
3. Applications for recognition shall be addressed to the Director, Department of Tourism, Government of Bihar.
4. The recognition as an approved Travel Agent shall be granted by the Department of Tourism, Government of Bihar for three years, based on the Inspection Report of a committee authorised by the Director of Tourism.
5. Applications for renewal/extension shall be addressed to the Director of the Department of Tourism, Government of Bihar.
6. The renewal / extension thereafter shall be granted for three years after Inspection conducted by an Authorised Officer on an application made by the Travel Agent along with the requisite fee/ documents.
7. Documents received from applicants after scrutiny in all respects will be acknowledged by the Authorised Officer. The inspection for renewal shall be conducted by the Inspection team within a period of two months from the receipt of complete application, failing which it will be deemed as renewed.
8. The following conditions must be fulfilled by the Travel Agent for grant of recognition by Department of Tourism:-
  - i) The application for grant of recognition shall be in the prescribed form and submitted in duplicate.
  - ii) It should be registered under Shops and Establishment Act.
  - iii) The minimum office space should be of 150 sq. ft. besides the office may be located in neat and clean surroundings and equipped with telephone, fax and computer reservation system etc. There should be sufficient space for reception and easy access to toilets.
  - iv) The Travel Agency should be under the charge of a full time member who is adequately trained, experienced in matters regarding ticketing, itineraries, transport, accommodation facilities, currency, customs regulations and travel and tourism related services. Besides this, greater emphasis may be given to effective communication skills, knowledge of foreign languages, other than English. There should be minimum of two



qualified staff out of which at least one should have Diploma in Travel and Tourism from recognized Institutes.

- v) The Travel Agent should be an income tax assesses and should have filed Income Tax Returns for the last or current assessment year.
- vi) Travel Agent should employ only State level guide and local guide authorised by Department of Tourism, Govt. of Bihar.
- vii) For out sourcing any of the services relating to tourists, the travel agencies shall use approved specialized agencies in the specific field of activity.

9. The Travel Agency will be required to pay a non-refundable fee of Rs.1000/- while applying for the recognition and renewal of Head Office as well as each Branch Office. The fee will be payable to the Director, Department of Tourism, Bihar, Patna in the form of a Bank Draft.

10. Recognition will be granted to the Head Office of the Travel Agency. Branch Office will be approved along with the Head Office/ subsequently, provided the particulars of the Branch Offices are submitted to Department of Tourism and accepted by it.

11. The Travel Agency granted recognition shall be entitled to such incentives and concessions as may be granted by the Government from time to time and shall abide by the terms and conditions of recognition as prescribed from time to time.

12. The decision of the Government of Bihar in the matter of recognition shall be final. However, the Government of Bihar may in their discretion refuse to recognize any firm or withdraw/withhold at any time recognition already granted with the approval of the competent authority. Before such a decision is taken, necessary Show Cause Notice would invariably be issued and the reply considered on merit. This will be done as a last resort and circumstances in which withdrawal is effected would also be indicated.